

अधिसूचना

योग्यता

1. भारत में केन्द्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय या संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान से डिग्री प्राप्त होनी चाहिए या आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
2. देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान

आयु:

- न्यूनतम: 20 वर्ष
- अधिकतम: 25 वर्ष

आयु में छूट

- राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष
- राजस्थान राज्य के सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की महिलाओं के लिए 5 वर्ष
- राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष
- पूर्व सैनिक बंदी और रिजर्व में स्थानांतरित किए गए सेवा कर्मियों के मामले में ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी
- राज्य सरकार के कर्मचारियों और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मारे गए मृतक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों के मामले में 3 वर्ष।
- सेना से मुक्त होने के बाद, रिहा किए गए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी, जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे, तो उन्हें उस आयु-सीमा के भीतर माना जाएगा, जो सेना में कमीशन में शामिल होने के समय वे इस प्रकार पात्र थे।